कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

क्रमांक : विद्युत/2023–24/निविदा –01/Spec- 01 दिनांक :– 15.04.2023

ऑफलाईन निविदा सूचना संख्या – 01 / Spec- 01 /2023–24

नगर निगम उदयपुर में विद्युत सम्बंधित कार्य हेतु Sppp पोर्टल के माध्यम से ऑफलाईन निविदा दिनांक.......21.04.2023.....समय सांय 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जिसकी अनुमानित लागत .... **7.26 लाख**.................. है। विस्तृत जानकरी **www.sppp.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है।

अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)

नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपि :–

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान सम्वाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर, शासन एवं सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन उपापन नियम 2013 के अनुसार संलग्न कार्यादेश क्रमांक **विद्युत/2023–24/01/**.. Spec- 01 **दिनांक** 15.04.2023 ... के अनुसार समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
2. उक्त निविदा को SPPP पोर्टल पर दिनांक ______15.04.2023 ______को अपलोड़ कर दिया गया है जिसके UBN No है।

अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)

नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

क्रमांक : विद्युत / 2023–24 / निविदा –01 / Spec- 01 दिनांक :– 15.04.2023

ऑफलाईन निविदा सूचना संख्या – 01 / Spec- 01 / 2023–24

निविदा सूचना

नगर निगम, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो के लिए विद्युत संवेदको / एजेन्सियों अथवा निविदा शर्तो के आधार पर पात्र संवेदकों से निविदाएं आंमत्रित की जाती है। निविदाएं निम्नलिखित दिनांक को दोपहर 2.00 बजे तक विक्रय की जावेगी एवं खोलने की दिनांक को दोपहर 4.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए जो उसी दिनांक को सायंकाल 5.00 बजे उपस्थित निविदाकारो के समक्ष खोली जावेगी। अर्नेष्टमनी बैंक ड्राफ्ट द्वारा 2 प्रतिशत अनुमानित लागत का आयुक्त नगर निगम, उदयपुर के नाम देय होगी जो EMD, Tender & Processing Fee निर्धारित दिनांक एवं समय तक निगम वेब साईट http://www.udaipurmc.org पर E-Tender में जाकर Online जमा कराकर प्राप्ति रसीद जमा कराये जाने वाले दस्तावेजो के साथ अटेच करनी होगी। इस प्रक्रिया के अतिरिक्त EMD, Tender Fee & Processing Fee स्वीकार्य नही होगी। इस सम्बन्ध में सहायता हेतु संलग्न प्रोसेस का अवलोकन करे। सशर्त निविदा मान्य स्वीकार नही होगी। निविदा विक्रय एवं खोलने की दिनांक को अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस पर वाछित कार्यवाही की जावेगी।

क्र सं	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा विक्रय दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक
1.	**Providing and fixing various electrical items and internet fiber line for various camps for per day four different locations.**	**726000.00**	14520.00	590/-	**60 दिन**	**20.04.23 तक**	**21.04.23 04.00 बजे बाद**

नोट :– निविदा प्रपत्र वेब साईड www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। पोर्टल से डाउन लोड की गयी निविदा का निविदा प्रपत्र शुल्क एवं धरोहर राशि का डिमाड ड्राफ्ट की प्राप्ति रसिद निविदा प्रपत्र के साथ पृथक से संलग्न करनी आवश्यक है।

अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)

नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)

निविदा प्रपत्र

क्रमांक : विद्युत / 2023–24 / 01 / दिनांक :– 15.04.2023

कार्य सं 01

कार्य का नाम :– **Providing and fixing various electrical items and internet fiber line for various camps for per day four different locations.**

अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा विक्रय दिनांक व समय	निविदा प्राप्ति दिनांक व समय	समयावधि
726000.00	14520.00	590/-	20.04.2023 दो. 2.00 बजे तक	21.04.2023 सायं 4.00 बजे	

डीडी नम्बर	राशि	दिनांक	बैक

निविदादाता नाम :– ....पता ....सम्पर्क नम्बर :–.....................

1. निविदा विक्रय दिनांक :– .... समय ....

2- निविदा खोलने की दिनांक ....समय ....

S.No.	Description	Unit	Qty	Rate	Total
1	P & F of Spike busters (15 amp/ 5 amp) with min 4 socket per camp location Total for 60 days (Per single camp location)	Nos	2		
2	P & F of Laptops Wi-Fi enabled with mouse and the laptops must contain atleast 8 GM RAM, 9th generation or advanced processor (rental) per camp location Laptop make,:- Dell,Lenovo or HP Total for 60 days (Per single camp location)	Nos	4		
3	P & F of Multi-function printer with toner (B/W) (rental) per camp location Printer make:- Epson,Cannon,Brother, HP Total for 60 days(Per single camp location)	Nos	2		
4	P & F of Plasma/LED TV 50" or higher with stand (rental) per camp location Total for 60 days (Per single camp location)	Nos	1		
5	P & F of Good & secured fibre Internet connectivity having net speed not less than 100 mbps (Wi-fi) for Laptops per camp location Total for 60 days (Per single camp location)	Nos	1		
6	P & F of UPS 3 KVA (to support 4 nos. of Laptop & 2 nos. of printers for at least 1 hrs) with electrical wiring (rental) per camp location Total for 60 days (Per single camp location)	Nos	1		
7	P & F of Pedestal fans(rental) per camp location Total for 60 days (Per single camp location)	Nos	2		
8	P & F of Cooler Jumbo (rental) per camp location including water refilling Total for 60 days (Per single camp location)	Nos	1		
	Total for 60 days 01 location including all taxes				
	Total for 60 days 04 locations including all taxes				

I/We hereby tender for the above work at Rs.. quoted on "H"- schedule.

Signature of contractor
Class

अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)
नगर निगम, उदयपुर

सामान्य शर्ते

1. **बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि** :– 90 (नब्बे) दिन बोली लगाने वाले से विधिमान्यता की कालावधि विस्तार करने का अनुरोध किया जा सकता है। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बोली प्रतिभूति FOREFIT नहीं की जा सकती। (नियम 48)
2. **विलम्ब से प्राप्त बोलियॉ** :– बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।
3. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार** :– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्त्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।
4. **परिमाण में परिवर्तन का अधिकार** :– (1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

5. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति** :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की दस प्रतिशत
6. **बोली प्रतिभूति** :– प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2% होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.5% होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योंगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी उवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1% होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। बोली प्रतिभूति बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई. जी. आर. एस. के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल्य या बढ़ायी गई विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिये।
7. **बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में जब्त (ForFit) कर दी जाएगी, अर्थात् :–**

   (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के प्श्चात् अपनी बोली प्रत्याह्रत या उपान्तरित करतर है।

   (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

   (ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

   (घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

   (ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

8. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है, या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
9. **उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात् :–**

   (1) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के आवसान पर।

   (2) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर।

   (3) उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या

   (4) बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय – सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर

   जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण

   अनुज्ञात नहीं किया गया है।

10. **करार का निष्पादन :–**

(1) कोई उपापनी संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहा बोली दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संदिदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्व अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कारवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्य कर सकेगी या यदि वह उचित समझे ंतो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

11. <u>परिमाण में परिवर्तन का अधिकार</u> :–

(1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेगें यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। न्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रुप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होगी :–

<u>(क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के</u>

<u>मूल्य का 50 प्रतिशत और</u>

<u>(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।</u>

12. <u>बोली दस्तावजों में परिवर्तन</u> :– बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय–सीमा से पूर्व भी समय उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामस्वरुप धारा 23 के उपबंधों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपांतरित कर सकेगी।

13. <u>बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि</u> :–

(1) बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान विधिमान्य रहेगी। यह कालावधि सामान्यतया नब्बे दिन होगी। उपापन की प्रकृति के आधार पर यह अधिक भी हो सकती है। लघुतर कालावधि के लिए विधिमान्य कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी के रुप में उपापन संस्था द्वारा अस्वीकार की जायेगी।

(2) बोलियों की विधिमान्यतया की कालावधि के अवासन के पूर्व उपापन संस्था आपवादिक परिस्थितियों में बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए बोली की विधिमान्यतया की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृति बोली प्रत्याहरण के रुप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति समपहत की जायेगी।

(3) ऐसे बोली लगाने वाले जो उनकी बोली की विधिमान्यतया की कालावधि के विस्तार से सहमत होते है उनके द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूतियों की विधिमान्यतया की कालावधि का विस्तार करेंगें या विस्तार करायेगें या उनकी बोली की विधिमान्यतया की विस्तारित कालावधि को आवृत करने के लिए नयी बोली प्रतिभूतियां प्रस्तुत करेंगें। कोई बोली लगाने वाला जिसकी बोली प्रतिभूति विस्तारित नहीं की जाती है या जिसने नयी बोली प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की है, इसे उसकी बोली की विधिमान्यतया की कालावधि के विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जाना माना जायेगा।

14. <u>समयावधि में वृद्वि</u> :– नगर निगम यदि फर्म द्वारा प्रस्तुत कराणों से संतुष्ट है तो आपूर्ति आदेश में दिये गये समय में तीन माह वृद्वि कर सकेगा। इस हेतु आयुक्त/महापौर संक्षम होगें।

15. बोली लगाने वाला, जो :–

(क) वित्तीय बोलियों के खुलने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है।

(ख) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् उपापन संविदा करने में असफल होता है।

(ग) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेजो के निबंधनों में अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूर्ति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में, वैध आधारों के बिना असफल रहता है।

वह बोली लगाने वाले दस्तावेजों या संविदा में उपलब्ध अवलम्ब के अतिरिक्त पेनाल्टी वसुल होगी। जो उपापन के निर्धारित मूल्य के 10 प्रतिशत होगी।

16. <u>प्रतिभूति जब्त</u> :– बोली लगाने वाला करार निष्पादन के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराने के पश्चात् अगर कार्य नहीं करता है या कार्य अधुरा छोड़ता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकेगी।

1. The contractor shall follow the contractor labour regulation and abolition Act 1970 & Rule1971.
2. Wherever any claim against the contractor for the payment of a sum of money arises out of under the contracts, the MCA shall be entitled to recover the sum by appropriating in part or whole of the security deposit of the contractor, In the event of the security being insufficient or if no security has been taken from the contractor then the balance of the total sum recoverable as the case may shall be deducted from any sum then due or which at any time there contract with the MCA should this sum be sufficient to recover the full amount recoverable. The contractor shall pay to MCA on demand the balance remaining due. The MCA shall further have the right to affect such recoveries under P.D.R. Act.
3. No conditions are to be added by the contractor and conditional tender is liable to be rejected.
4. All transaction in this execution of this work and this tender will be liable to Sale-Tax vide section. 2(B) read with sub-clause (4) Sale-tax Rule, 1954.
5. The rates provided in tender documents are inclusive of all Taxes and royalty.
6. Undersigned has full right to reject any or all tenders without given any reasons.
7. All the provisions of THE RAJASTHAN TRANPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 and Rules, 2013 will be applicable. If there is any contradiction in existing special conditions and provisions of THE RAJASTHAN TRANPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 and Rules, 2013 provisions of THE RAJASTHAN TRANPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 and Rules, 2013 shall be applicable.

17. <u>Conditions regarding Security Deposit</u> (2.2)

2.2.2 Refund of SD –

The Security Deposit will be release in the following stages after satisfactory performance certificate issued by Engineer-In-Charge:-

S.No.

1 After 2 Month

2.2.4 <u>Force Majeure</u>

The defect arises due to earthquake, cyclone, and natural calamities shall not be the responsibly of contracting agency.

18. Annexure D: Additional Conditions of Contract

Correction of arithmetical errors

(i) Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(ii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

(iii) If the Bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

(iv) निविदा की दरे निविदा खुलने से एक वर्ष तक वैध होगी।

(v) धरोहर राषि के डी.डी./बैंकर्स चैक आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर के नाम से स्वीकार किये जायेगें । जिसमे प्रथम न्यूनतम संवेदक की डी.डी./बैंकर्स चैक रोके जाकर बाकी सभी को डी.डी./बैंकर्स चैक लोटा दिये जावेगे।

(vi) सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

(vii) समस्त राजकीय कर टीडीएस काटे जाकर संबंधित विभाग में नियमानुसार जमा कराये जायेगें, अन्य समस्त करों एवं कानूनी दायित्वों की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

(viii) कार्य पूर्ण होने की सन्तुष्टी इन्जीनियर इन्चार्ज की होगी। कार्य शुरू करने का समय लिखित आदेश से 10 दिन अथवा देय समय में करना होगा।

(ix) कार्य संपादन प्रतिभूति कार्यादेश की राशी की 2.5 प्रतिशत होगी जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 (3) के अध्यधीन जमा करानी होगी। निविदाकर्ता द्वारा प्रर्फोमेन्स धरोहर राषि (BG / Form RPWA 87 / Cash / FDR) के रूप जमा करायी जावेगी।

(x) इस निविदा की प्रकृति से जुडे कार्य में किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी विभाग से गत तीन वर्षो में ब्लेक लिस्टेड़/वंचित किये गये संवेदक द्वारा इस निविदा प्रक्रिया में भाग नही लिया जा सकता है।

(xi) निविदा शुल्क का रिफण्ड क्लेम नहीं किया जावेगा।

(xii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता नियम 2013 एवं पब्लिक वर्क एण्ड फाईनेन्स रूल्स ऑफ अपेनडिस्क (परिषिष्ट) XI लागु होगें।

(xiii) कार्य करने वाले कर्मचारी/सुपरवाईजर आदि का बीमा रखना होगा किसी प्रकार की दुर्धटना की जिम्मेदारी सम्बन्धित संवेदक की होगी।

(xiv) पी.एफ. में राज्य सरकार के निर्देशो की पालना करनी होगी।

(xv) पेन कार्ड की फोटो प्रति साथ संलग्न करनी होगी।

(xvi) स्वीकृत निविदाकार को कार्य करने के पश्चात् भुगतान किया जायेगा।

(xvii) केम्प में लगने वाले सामान की Quality अच्छी होनी चाहिऐ।

(xviii) तारों के Joints की टेपिंग व्यवस्थित होनी चाहिऐं।

(xix) श्रम–विभाग के नियमो की पालना का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xx) दरे माल–मटेरियल, मजदूरी सहित देनी होगी।

(xxi) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होने एवं जहां वस्तुओ को आईएसआई स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्ष की गयी हो, उन मदो को पूर्णरूप से उक्त स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप होने एवं उसी मार्क की कार्य मे ली जावेगी एवं तार पर टेप आदि व्यवस्थित रूप से लगी होनी चाहिए।

(xxii) सभी प्रकार के करो का भुगतान द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जावेगा।

(xxiii) समस्त विवादो का न्यायिक क्षैत्र उदयपुर होगा

(xxiv) लगाये जाने वाले विद्युत सामग्री की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी। निगम द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान अतिरिक्त देय नही होगा।

(xxv) संवेदक द्वारा एस.डी. के रूप में कार्यादेश की राशि का 5प्रतिशत निगम कोष में अनुबन्ध से पूर्व जमा कराना होगा।

(xxvi) संवेदक को सब–ऑर्डर अथवा किसी भी प्रकार के सन्देश (दूरभाष, मोबाईल) के माध्यम से दिये गये आदेश के अनुसार सामग्री चालु हालत में कार्यक्रम से 2 घण्टे पूर्व में उपलब्ध करानी होगी अन्यथा कार्यादेश में उल्लेखित व्यय का 200 प्रतिशत पेनाल्टी के रूप में वसुली जावेंगा एवं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(xxvii) उक्त कार्य की BOQ में दर्शायी गयी मात्रा सांकेतिक है। चूंकि उक्त निविदा दर अनुबंध प्रक्रिया पर आधारित है अतः किसी भी Item no. की मात्रा शुन्य से लेकर आवश्यक्तानुसार काम में ली जा सकती है।

(xxviii) उक्त कार्य में समग्र रूप से न्यूनतम निविदादाता को अनुमोदित कर कार्यादेश जारी किया जावेगा।

(xxix) निविदा में जिस संवेदक द्वारा समग्र रूप से न्यूनतम दरें प्रस्तुत की जायेगी उसे L1 माना जायेगा।

Signature of contractor
Class
Address

अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)

नगर निगम, उदयपुर